कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक............/ 344 / आउशि / अ.शै.प. / 2005 रायपुर,दिनॉक.........

// अस्थाई प्रमाण- पत्र //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) के अंतर्गत प्राचार्य/अध्यक्ष : सेन्चुरी सिमेंट एजुकेशन सोसायटी, बैकुण्ठ , जिला-रायपुर के पत्र कमांक – द्वारा दिनॉक 04.10.06 से इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (5) के अन्तर्गत (महाविद्यालय) :- अशासकीय सेन्चुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ जिला-रायपुर मे सत्र 2007-08 से नया अशासकीय महाविद्यालय/संचालित महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों की कक्षाऐं प्रारंभ किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है:-

पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय	सत्र	छात्र संख्या
बी.काम. प्रथम वर्ष सभी अनिवार्य विषय के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2007-08	60--60
बी.सी.ए.प्रथम वर्ष	2007-08	30

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवदेन दिनॉक 27.04.2007 पर विचार करने के लिये उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि विश्व विद्यालय की विद्या परिषद् के प्रावधान 26 (1) (5) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24 (12) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति दी जायें कि वह संस्था के आवेदन पर विचार कर सकें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/ अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-26 (1) (5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण – पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्ते निम्नानुसार है :-

1. सत्र 2007-08 से प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूर्ण की जायें कि जिससे सत्र आरंभ होने पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो।
3. संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, तीन वर्षो के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी भी दें :-

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116

ACT 2 45

संस्था में कालेज कोड 28 के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति होना आवश्यक है यह अनुमति प्रमाण पत्र अस्थाई है, संस्था द्वारा समस्त पूर्तियाँ की जाने पर इस कार्यालय को सूचित किया जायें, ताकि अस्थाई अनुमति प्रमाण पत्र पर विचार कर स्थाई करने का निर्णय लिया जाये।

महाविद्यालय, शासन से भविष्य में कोई अनुदान की मांग नहीं करेगा। महाविद्यालय को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जायेगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। गुणानुक्रम में आनेवाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये।

शासन, विश्वविद्यालय एवं सक्षम संस्था के निर्देशों एवं समय – समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा ।

मानक अनुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भवन, फर्नीचर, उपकरणों, प्रायोगिक उपकरणों एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था, संस्था को स्वयं करनी होगी।

अन्य शर्तें :–

1. छत्तीसगढ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 का पालन सुनिशिचित करें ।
2. ग्रंथालय हेतु 50 हजार की पुस्तकें क्रय करना ।
3. 10 कम्प्यूटर तथा उसके लिए लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय करना ।
4. अधिकारी / कर्मचारियों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें ।
5. विश्वविद्यालय परिनियम कालेज कोड 28 के अनुसार शैक्षणिक /अशैक्षणिक स्टॉफ शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें ।
6. शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं कायिक निधि की राशि जमा करना ।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति 10 दिन के अंदर किया जाना आवश्यक है अन्यथा अनुमति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Additional Director
Irectorate, Higher Education
Chhattisgarh, Raipur
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 376 / 242 / आउशि / अशास.शै.प्र. / 2004

रायपुर,दिनॉक 31-5-2007

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) इस निर्देश के साथ कि संबद्धता दिये जाने के पूर्व इस कार्यालय से जारी पूर्ति प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर लेवें ।
3. अध्यक्ष : सेन्चुरी सिमेंट एजुकेशन सोसायटी, बैकुण्ठ , जिला–रायपुर
4. प्राचार्य,अशासकीय सेन्चुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ जिला–रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

टिप्पणी :– यह प्रमाण पत्र किसी संस्था को विषय प्रारंभ करने / नई कक्षायें प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करता, जब तक विश्वविद्यालय अधि नियम 1973 धारा 24 (12) के अंतर्गत संबद्धता प्रदान नहीं करता।

Additional Director
Irectorate, Higher Education
Chhattisgarh, Raipur
उप संचालक (एम)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

AC 1 2 46

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /406/आउशि/अशा.शै.प्र./07 रायपुर, दिनांक ....

// अस्थाई प्रमाण प्रत्र //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) के अन्तर्गत प्राचार्य/अध्यक्ष : सेन्चुरी सीमेंट एजुकेशन सोसायटी, बैकुण्ठ, जिला–रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 11 दिनांक 30–10–07 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (5) के अंतर्गत (महाविद्यालय) :– अशासकीय सेन्चुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ, जिला–रायपुर (छ.ग.) में सत्र 2008–09 से ~~नया अशासकीय महाविद्यालय~~/संचालित महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों की कक्षाए प्रारम्भ किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है:–

पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय–	सत्र	छात्र संख्या
बी.काम.द्वितीय वर्ष सभी अनिवार्य विषय के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2008–09	60–60
बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष	2008–09	30

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 23–01–08 पर विचार करने के लिये उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय की विद्यालय के प्रावधान 26(1)(5) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24(12) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति दी जायें कि वह संस्था के आवेदन पर विचार कर सकें ।

अतः यह विभाग यह प्रमाण–पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–26 (1) (5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्ते निम्नानुसार है :–

1. सत्र–2008–09 से प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो।

2. प्रयोगशाला की सुविधाएँ प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूर्ण की जायें कि जिससे सत्र आरंभ होने पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो।

3. संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को एक माह में उपलब्ध करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, तीन वर्षो के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी भी दें।

cenchuri 17-03-08

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C.G.) 493116

संस्था में कालेज कोड–28 के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति होना आवश्यक है यह अनुमति प्रमाण पत्र अस्थाई है, संस्था द्वारा समस्त पूर्तियों की जाने पर इस कार्यालय को सूचित किया जायें, ताकि अस्थाई अनुमति प्रमाण पत्र पर विचार कर स्थाई करने का निणर्य लिया जाये ।

महाविद्यालय, शासन से भविष्य में कोई अनुदान की मांग नहीं करेगा। महाविद्यालय को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जायेगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये ।

शासन, विश्वविद्यालय एवं सक्षम संस्था के निर्देशों एवं समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

मानक अनुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भवन, फर्नीचर, उपकरणों, प्रायोगिक उपकरणों एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था, संस्था को स्वयं करनी होगी ।

अन्य शर्ते :–

1. छत्तीसगढ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 का पालन करने।
2. विश्वविद्यालय कॉलेज कोड–28 के अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति शीघ्र करने की पूर्ति के शर्त पर।

(डॉ. मनीषा शुक्ला)
उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमांक 933 / 406 / आउशि / अशा.शै.प्र. / 07 रायपुर, दिनांक 20-3-08

प्रतिलिपि :–

1.	सचिव,	छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2.	कुल सचिव,	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ0ग0)
3.	अध्यक्ष,	सेन्चुरी सीमेंट एजुकेशन सोसायटी, बैकुण्ठ, जिला–रायपुर (छ.ग.)
4.	प्राचार्य,	अशासकीय सेन्चुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ, जिला–रायपुर (छ.ग.)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

टिप्पणी :– यह प्रमाण पत्र किसी संस्था को विषय प्रारंभ करने / नई कक्षायें प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करता, जब तक विश्यविद्यालय अधिनियम 1973 धारा 24(12) के अंतर्गत संबद्धता प्रदान नहीं करता।

उप संचालक (एम)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)

cenchuri 17-03-08

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 406 / आउशि / अशा.शै.प्र. / 09 रायपुर, दिनांक ....

// अस्थायी प्रमाण प्रत्र //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत प्राचार्य / अध्यक्ष सेंचुरी सीमेंट एजुकेशन सोसायटी बैकुण्ठ, जिला–रायपुर छ.ग. के पत्र क्रमांक 143 दिनांक 25–10–08 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (5) के अंतर्गत अशासकीय सेन्चुरी सीमेन्ट कॉलेज, बैकुण्ठ, जिला–रायपुर (छ.ग.) में सत्र 2009–10 से पूर्व संचालित महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है :–

पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय–	सत्र	छात्र संख्या
बी.काम. भाग–3 वर्ष सभी अनिवार्य विषय के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2009–10	60–60
बी.सी.ए. भाग–3	2009–10	30

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16.03.2009 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय के प्रावधान 26(1)(5) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24(12) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए अस्थायी अनुमति दी जायें कि वह संस्था के आवेदन पर विचार कर सकें ।

अतः यह विभाग यह प्रमाण–पत्र प्राचार्य / अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय / समिति को प्रदान करता है जिससे कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–26(1)(5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्ते निम्नानुसार है:–

1. सत्र 2009–10 में प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला की सुविधाएँ प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूर्ण की जायें कि जिससे सत्र आरंभ होने पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो।
3. संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को एक माह में उपलब्ध करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, तीन वर्षो के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी भी दें।

संस्था में कालेज कोड 28 के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षको की नियुक्ति होना आवश्यक है यह अनुमति प्रमाण पत्र अस्थायी है, संस्था द्वारा समस्त पूर्तियों की जाने पर इस कार्यालय को सूचित किया जावे, ताकि अस्थायी अनुमति प्रमाण पत्र पर विचार कर अनुमति स्थायी करने का निर्णय लिया जा सके ।

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C.G) 493116

महाविद्यालय, शासन से भविष्य में कोई अनुदान की मांग नहीं करेगा । महाविद्यालय को "नो प्रॉफिट नो लॉस" के आधार पर चलाया जायेगा । प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा । गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये ।

शासन, विश्वविद्यालय एवं सक्षम संस्था के निदेशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णत पालन करना होगा।

निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भवन, फर्नीचर, उपकरणों, प्रायोगिक उपकरणों एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था, संस्था को स्वयं करनी होगी ।

अन्य शर्ते :-

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन करने ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के तहत सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर की नियुक्ति दो माह के भीतर करने ।
3. नियम 2007 के 23 (ख) के अनुसार जमा की जाने वाली राशि में से चालान क्रमांक 3141451/00043 दिनांक 20-10-08 रू. 23,000/- चालान द्वारा जमा की गई है तथा शेष राशि रू. 2.77 लाख जमा करने की शर्त के साथ ।

सही/-
(डॉ. मनीषा शुक्ला)
उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक /37/406/आउशि/अशा.शै.प्र./09 रायपुर, दिनांक 13-4-09

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ0ग0)
3. अध्यक्ष, सेंचुरी सीमेंट एजुकेशन सोसायटी बैकुण्ठ, जिला-रायपुर (छ0ग0)
4. प्राचार्य, अशासकीय सेन्चुरी सीमेन्ट कॉलेज, बैकुण्ठ, जिला-रायपुर (छ.ग.)

.................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

टिप्पणी :- यह प्रमाण पत्र किसी संस्था को विषय प्रारंभ करने/नई कक्षायें प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करता, जब तक विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम 1973 की धारा 24(12) के अंतर्गत संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(डॉ. मनीषा शुक्ला)
उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 2054 /3066 /11/38–2 रायपुर दिनांक 17/ 06/2011

प्रति,

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– वर्ष 2011–12 से अशासकीय पूर्व संचालित सेंचुरी सीमेंट महा. बैकुण्ठ, तिल्दा, रायपुर नवीन विषय/पाठ्यक्रम /अतिरिक्त अनुभाग प्रारंभ करने की अनुमति दिये जाने बाबत् ।

संदर्भ :– आपकी टीप कमांक 417 दिनांक .26–04–2011.(नस्ती क0 .77/आउशि/अशै.प्र./2011)

——000——

सेंचुरी सीमेंट महा. बैकुण्ठ, तिल्दा, रायपुर छ0ग0 को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं छत्तीसगढ़ अशासकीय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक सत्र 2011–12 से पाठ्यक्रम सीट वृद्धि :–बी.काम.टीपीपी– 30 सीट, एम.काम पूर्व–30 सीट, पीजीडीसीए–40 सीट प्रथम वर्ष के साथ प्रारंभ करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम 2007 के नियम 6 के अनुसार शुल्क जमा किया जावे ।
2. कालेज कोड परिनियम 28 के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे ।
3. चल – अचल संपति की पूर्ति की जावे ।
4. वैंक के माध्यम से समस्त स्टाफ का वेतन भुगतान किया जावे ।
5. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे ।
6. कायिक निधि/पूर्व संचालित विषय शुल्क की राशि पूर्ण जमा किये जावे । ।
7. 15 कम्प्यूटर लाइसेंसयुक्त साफ्टवेयर सहित कय किये जावे ।
8. छात्रों के अनुपात में पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था की जावे ।

23/06/11

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/6/11
(एन0डी0 भोयर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
निरंतर ....

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C.G.) 493116

C:\Documents and Settings\wipro\Desktop\Adesh\Adesh.doc

(28)

पृ0क्रमांक /3066 /11/38--2 रायपुर दिनांक / 06/2011

प्रतिलिपि :-

1 विशेष सहायक, मान0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।

2 महालेखाकार, रायपुर छ0ग0 ।

3. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर ।

4. प्राचार्य, अशासकीय सेंचुरी सीमेंट महा. बैकुण्ठ, तिल्दा, रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।

5. आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर (छ0ग0)

पृ0 कं0/ 181 /आउशि/अशै.प्र./2011 रायपुर दिनांक 21/06/2011

प्रतिलिपिः–

कुल सचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।

21/6/11

सहायक संचालक (डी)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक / 1400 / 2012 / 38–2 रायपुर दिनांक /05/2012

प्रति,

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)।

विषयः– वर्ष 2012–13 से सेन्चुरी सीमेंट महाविद्यालय बैकुंठ, जिला–रायपुर में नवीन पाठ्यक्रम / विषय एवं अतिरिक्त अनुभाग (सीट वृद्धि) प्रारंभ करने की अनुमति विषयक्।

संदर्भः– **आपकी टीप क्रमांक 57 / आउशि / 12, दिनांक 13–04–2012.**

सेन्चुरी सीमेंट महाविद्यालय बैकुंठ, जिला–रायपुर (छ0ग0) को वर्ष 2012–13 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक सत्र 2012–13 से निम्नलिखित विषयों में सीट वृद्धि / अतिरिक्त अनुभाग की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	विषय	सीट संख्या
1	एम.कॉम. अंतिम	30 सीट
2	डी.सी.ए. (नवीन विषय)	30 सीट

उपर्युक्त अनुमति इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि :–

1. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन करने।
2. कॉलेज कोड परिनियम 28 के तहत संबंधित विषय में 02 शिक्षकों एवं 02 अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे।
3. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।
4. एम.काम अंतिम तथा डी.सी.ए. नवीन पाठ्यक्रम हेतु राशि रू0 75000/– की पुस्तकें क्रय किये जावे।
5. नियमानुसार आवश्यक शुल्क जमा किये जावे।
6. 15 कम्प्यूटर (साफ्टवेयर लायसेंस सहित) क्रय किये जावे।
7. बैंक के माध्यम से समस्त स्टॉफ का वेतन भुगतान किया जावे।

(गोपाल सिंह)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Principal
Century Cement College
Baikunth, Dist.-Raipur (C.G.) 493116

C1(S215)

निरंतर ......

पृ0 कमांक २०७५ /1400/2012/38–2

प्रतिलिपि :– रायपुर दिनांक 7 /06/2012

1. विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2. महालेखाकार, रायपुर छ0ग0।
3. जिला–कोषालय अधिकारी, रायपुर।
4. कुलपति, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ0ग0।
5. प्राचार्य, सेन्चुरी सीमेंट महाविद्यालय बैकुंठ, जिला–रायपुर (छ0ग0)
6. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116

C1(S216)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)
दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 2342 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2025 रायपुर, दिनाँक : 05 / 12 / 2025

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक, दिनाँक 04.11.2025 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनाँक 08.11.2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा / विषय के साथ विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2025–26 के लिए प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा) जिला– रायपुर (छ.ग.) centurycementcollege@gmail.com Mobile No.- 9406016728 Phone No.- 07721-261222	**Non- Permanent Affiliation** BCA-(30 Seat) B.Com.-All nece. sub. (60 Seat (30+30)), (Adl. sub. Comp. Appl-30) M.Com.- (30 Seat) PGDCA- 60 (40+20)

निर्देशः–

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन कियाा जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जावे।
3. महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
4. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 2343 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2025 रायपुर, दिनाँक : 05 / 12 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक–सी, 3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
3. उ.कु.स. परीक्षा / सेमेस्टर परीक्षा / स.कु.स. गोपनीय / नामांकन / प्रभारी अधिकारी, प्रेस
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C.G) 493116

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg,Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org

APPROVAL PROCESS 2024-25

Letter of Approval (LoA)

F.No. Central/2024-25/1-44305986814

Date: 09-May-2024

To,
The Chairman
Century Cement Education Society
Ultra Tech Cement Limited Baikunth Cement Works,
Baikunth, Raipur,
Chhattisgarh, 493116

Sub: Letter of Approval for New Institution 2024-25

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education), Powers delegated in AICTE ACT 1987, (No 52 of 1987) chapter II - u/s 2(g) to regulate Technical Education and subsequent Regulations of Council issued by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-44305986814	**Application Id**	1-44305986814
Name of the Institute	CENTURY CEMENT COLLEGE BAIKUNTH	**Name of the Society/Trust**	CENTURY CEMENT EDUCATION SOCIETY
Institute Address	CENTURY CEMENT COLLEGE BAIKUNTH,BAIKUNTH,RAIPUR,Chhattisgarh,493116	**Society/Trust Address**	ULTRA TECH CEMENT LIMITED BAIKUNTH CEMENT WORKS,BAIKUNTH, RAIPUR,Chhattisgarh,493116
Institute Type	Private-Self Financing	**Region**	Central

For conduct of the following Courses with the Intake indicate below for the Academic Year 2024-25*

Sr. No.	Level	Program	Course	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2024-25	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status	Twinning/ Foreign Collaboration
1	UNDER GRADUATE	COMPUTER APPLICATIONS	BCA	Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur	60	No	No	Not interested

The approval of BBA/BCA/BMS courses is on "as is where is basis" on self-declaration basis. Intake Approved for BBA/BCA/BMS Courses is Subject to the approval of the Concern University.

 # 10% seats will be allowed over and above the Approved Intake to accommodate reservation for EWS as per State Government Policy.

***Note: The approval is valid for two years from the date of issue of this letter only for getting affiliation with respective University/ Board of Technical Education (BTE)/ Board of Technical Education & Training (BTET) (as applicable) and fulfilling State Govt. requirements for admission. If institution is unable to start in the academic session 2024-25 due to any reason, the institution will have to apply On-line on AICTE web portal in next academic session for continuation of approval.**

All institutions shall fulfill the following general conditions:

1. The management shall provide adequate funds for development of infrastructural, instructional and other facilities as per norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting recurring expenditure.
2. The Eligibility Criteria for admissions shall be made in accordance with the regulations notified by the Council from time to time.
3. The tuition and other fees shall be charged as prescribed by the Competent Authority within the overall criteria prescribed by the Council from time to time. No capitation fee shall be charged from the students/ guardians of students in any form. If found so, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution
4. The management of the Institution shall not discontinue any course(s) or start any new course(s) or alter intake capacity of seats without the prior approval of the Council.

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116

5. No excess admission shall be made by the Institution over and above the approved intake under any circumstances. In case any excess admission is reported to the Council, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
6. The Institution shall not have any collaborative arrangements with any other Indian and / or Foreign Universities for conduct of technical courses without obtaining prior approval from AICTE. In case any violation is reported to the Council, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution
7. The Institution shall not conduct any course(s) as specified in the Approval Process Handbook without prior permission / approval of AICTE. If found so, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
8. The Institution shall operate only from the approved location, and that the institution shall not open any off campus study centers / extension centers directly or in collaboration with any other institution / university / organization for the purpose of imparting technical education without obtaining prior approval from the AICTE. If found so, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
9. The accounts of the Institution shall be audited annually by a certified Chartered Accountant and shall be open for inspection by the Council or persons authorized by it.
10. Heads of Departments, the teaching and other staff shall be appointed in given time frame and selection shall be done according to procedures, qualifications and experience prescribed by the Council from time to time and pay scales are as per the norms prescribed by the AICTE from time to time. The Institution shall publish an information booklet before commencement of the academic year giving details regarding the Institution and courses / programs being conducted, Fees charged and details of infrastructural facilities including faculty etc. in the form of mandatory disclosure. The information booklet may be made available to the stakeholders of the technical education. The mandatory disclosure information, as per directions in the AICTE website / Approval Process Handbook, shall be put on the Institution Website. The information shall be revised every year with updated information about all aspects of the Institution.
11. It shall be mandatory for the Institution to maintain a Website providing the prescribed information. The Website information must be continuously updated as and when changes take place.
12. As per mandatory Disclosure of APH 2024-27(Annexure-18, page180) Institutions must disclose the following information submitted to Council at the Prominent location on its website.
    i. Department wise availability of Infrastructure along with approved courses and intake approved by the Council.
    ii. Faculty details: Department wise: Name& Designation of the faculty members/teaching staff along with their qualification, tenure of service in your organization, total experience, Institution should also disclose Student Faculty Ratio, Cadre Ratio.
    iii. Additionally, Audited Financial Statements for every Financial year on year to year basis.
13. If the Institution fails to disclose the information or suppress and / or misrepresent the information, appropriate action as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
14. AICTE may also conduct inspections with or without notifying the dates to verify specific complaints, to verify adherence to AICTE norms & standards, and to verify any mis-representation, violation of norms & standards, mal-practices etc.
15. The Institution by virtue of the approval given by Council shall not automatically become claimant to any grant-in-aid from the Central or State Government.
16. In the event of a student / candidate withdrawing before the starting of the course, the wait listed candidates should be given admission against the vacant seat. The entire fee collected from the student, after a deduction of the processing fee of not more than Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) shall be refunded and returned by the Institution to the student / candidate withdrawing from the program. It would not be permissible for the Institution to retain the School / Institution Leaving Certificates in original to force retention of admitted students and not to charge fees for the remaining period if a student cancels the admission at any point of time.
17. The Institution shall take appropriate measures for prevention of ragging in any form, in the light of AICTE regulation "Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to Universities imparting technical education" Regulation 2009 (F.No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated 01/07/2009). In case of failure to prevent the instances of ragging by the Institutions, the Council shall take appropriate action as per the notified regulations.
18. It is mandatory to comply all the essential requirements as given in APH 2024-25 to 26-27 (Chapter 6)
19. AICTE Approved Institutes are encouraged to make efficient use of the flagship schemes like:

    - Parakh: Student Gap analysis portal bases services.
    - Students Scholarship schemes like Pragati, Saksham, Swanath, ADF, etc.
    - Course in Indian Languages.
    - ATAL FDPs: Faculty training for Emerging areas and cutting edge Technologies.
    - Augmenting Utilization of Research Assets (AURA).
    - Smart India Hackathon: World's largest Open Innovation Platform.

The Government/ Management of the Institution shall strictly follow further conditions as may be specified by the Council from time to time.The Council may withdraw the approval, in case it observes any violation of the above conditions and/or non- adherence to the norms and standards prescribed by the Council, mis-representation of facts and submitting factually incorrect information to it.

NOTE: If the State Government / UT / DTE / DME has a reservation policy for admission in Technical Education Institutions and the same is applicable to Private & Self-financing Technical Institutions, then the State Government / UT/ DTE / DME shall ensure that 10 % of Reservation for EWS would be operational from the Academic year 2022-23. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the clause (1) of Article 30 of Constitution of India

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education****, Chhattisgarh
2. **The Registrar**,**
   Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur
3. **The Principal / Director,**
   CENTURY CEMENT COLLEGE BAIKUNTH
   CENTURY CEMENT COLLEGE BAIKUNTH,
   BAIKUNTH, RAIPUR,
   Chhattisgarh, 493116
4. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at http://www.aicte-india.org/

** Copy of this letter will not be communicated through Post/Email. However, provision is made in the AICTE portal for downloading letter through Authorized login credentials allotted to concerned State Secretary / DTE/ Registrar.

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C.G.) 493116

All India Council for Technical Education

(An Autonomous Organization, Under Ministry of Education, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg,Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: https://www.aicte.gov.in

APPROVAL PROCESS 2026-2027

TER Payment Receipt

Name of the Institution	CENTURY CEMENT COLLEGE BAIKUNTH		
Name of Parent Organization	CENTURY CEMENT EDUCATION SOCIETY		
Permanent Id	1-44305986814		
Application Type	Extension-Expansion-Closure	**Application Id**	1-46272242798
State	Chhattisgarh	**Region**	Central
City/Village	BAIKUNTH	**District**	RAIPUR
Address	CENTURY CEMENT COLLEGE BAIKUNTH	**PIN Code**	493116

Payment ID	Payment Mode	TPSL/ CCAvenue Transaction ID	Part Payment Amount	Total Amount	PO Date/ Transaction Date
438467239	HDFC Payment Gateway	114222643405	22000	22000	12/01/2026

This is a System generated Report. No signature is required.

Principal
Century Cement College
Baikunth. Dist.-Raipur (C G) 493116